(141)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0 प्र0

राजेन्द्र सिंह फौत वारिसान ,

1– श्रीमति मुन्नी पत्नि राजेन्द्र सिंह , आयु 46 साल ,

2– विजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह , आयु 25 साल

3– पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह , आयु 22 साल

4– शुभम सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह , आयु 20 साल

5– कुमारी दीक्षा पुत्री सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह , आयु 18 साल,

सभी निबासी ग्राम दांतगोरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़,

.....आवेदकगण

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ .....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह नगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 93/बी121/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 10/10/2011 से परिवेदित होकर कर रहे हैं।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दांतगोरा में आवेदकगण के पिता राजेन्द्र सिंह के नाम से खसरा नंबर 30/06 में रकवा 1.618 हेक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी हक में दर्ज थी। अपीलांट द्वारा उपरोक्त भूमि जरिये वैनामा के कय की थी तथा विधिवत रूप से उस पर राजेन्द्र का नाम भी दर्ज हो गया था। कलेक्टर महोदय द्वारा अवेदकगण के पिता को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/10/2011 के द्वारा वाद भूमि पर से आवेदकगण का नाम काटकर म0 प्र0 शासन दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 915/II/2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश राजेन्द्र सिंह फौत वनाम म0 प्र0 शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-3-16	(1) 1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक के अधिवक्ता व पेनल लॉयर अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 93/बी121/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 10/10/2011 से परिवेदित होकर कर की है। 2– यह कि आवेदक के अनुसार प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण के पिता द्वारा ग्राम दांतगोरा में खसरा नंबर 30/06 में से रकवा 1.618 हेक्टर कृषि भूमि जरिये वैनामा के दिनांक 08/09/2003 को क्रय की थी। राजस्व अभिलेख में उनका नाम भी दर्ज हो गया था। कलेक्टर द्वारा आवेदकगण के पिता को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही उपरोक्त प्रकरण क्रमांक के माध्यम से 165/7/ख का उल्लंघन मानकर आदेश पारित करके म0 प्र0 शासन के नाम से भूमि दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। आवेदकगण के पति/पिता/ भूमि स्वामी राजेन्द्र सिंह का निधन दिनांक 04/02/2016 को हो चुका है, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की है। जिसके उपरांत आवेदकगण जब पटवारी के यहां फौती उठवाने गये तो बताया गया कि भूमि तो म0 प्र0 शासन दर्ज है, तो आवेदकण द्वारा काफी खोजबीन की तो, जतारा में वकील साहब के यहां आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रखी मिली। जिसे लेकर उनकी सलाह पर यह निगरानी करवा रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक के पिता को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आवेदक गण के पिता को सूचनापत्र तक जारी नहीं किया गया है। उपरोक्त आलोच्य आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के बिपरीत होने से निरस्त करने योग्य है । आदेश पारित करते समय वादभूमि को बर्ष 1985 में भूमि स्वामी घोषित कर दिया गया था, जबकि उपरोक्त भूमि का बिक्रय पत्र भूमि स्वामी घोषित होने के करीब 20 साल बाद किया गया है। संहिता की धारा 158/3 में पटटा मिलने के 10 साल बाद भूमि बिक्रय करने पर कलेक्टर की अनुमति की अवश्यकता नहीं है। संपूर्ण कार्यवाही तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है, जिस कारण से भी उसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है। प्रस्तुत तर्कों के आधार पर निगरानी समय सीमा में मान्य कर गुणदोषों पर निराकृत की जा रही है।	

(2) निग क0 / /2016

3— आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्कों को श्रवण करने के उपरांत निगरानी के साथ संलग्न आलोच्य आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलोच्य आदेश के प्रथम पृष्ठ के पैरा तीन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण के पिता को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर आदेश पारित किया गया है, नैसर्गिक न्याया के सिद्वांतों का पालन नहीं किया गया है। कलेक्टर द्वारा उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही मात्र तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

4— यह कि आवेदकगण द्वारा जो खसरा पांचसाला बर्ष 1976—77 से लगातार 2009—10 तक के वादभूमि के प्रस्तुत किये हैं, उनमें सन 1976—77 से 1983—84 तक वाद भूमि बिक्रेताओं के नाम शासकीय पटटेदार के रूप में दर्ज है। बर्ष 1985 के खसरा में वाद भूमि पर बिक्रेताओं को नामांतरण पंजी क्रमांक 170, आदेश दिनांक 23/10/85 के अनुसार भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे। बिक्रय बर्ष 2003 में हुआ है। संहिता की धारा 158/3 में भी प्रावधान है कि पटटा मिलने के 10 साल बाद भूमि बिक्रय के समय कलेक्टर की अनुमति की अवश्यकता नहीं हैं। 2013 रानि 08 आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति वनाम स्टेट ऑफ एम0 पी0 के न्याय दृष्टांत में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि धारा का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। पटटा मिलने के दस साल वाद बिक्रय की अनुमति की अवश्यकता नहीं है। 2011 रानि 426 में भी इसी प्रकार ब्यवस्था प्रदान की गई है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क्र0 93/बी121/2008—09 में पारित आदेश दिनांक 10/10/2011 निरस्त किया जाता है। आदेशित किया जाता है कि वादभूमि पर आवेदकगण के नाम भूमि स्वामी के रूप में पूर्ववत राजेन्द्र सिंह के स्थान पर उसके वारिसों के रूप में दर्ज किये जाबें। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य